उप सचिव

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

अधि0स0—निग / सारा—1 (पथ) आरोप—91 / 2020— 5904 (S) / पटना, दिनांक 27.9.23

श्री राजेन्द्र कुमार राय, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, अरवल सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, पूर्व बिहार अंचल, भागलपुर के पथ प्रमंडल, अरवल के पदस्थापन अवधि में जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक—1125 दिनांक 05.10.2020 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उनके द्वारा दिनांक 04.10.2020 को पथ प्रमंडल, अरवल अन्तर्गत मानिकपुर—बिथरा—सेनारी पथ का अवलोकन किया गया एवं पथ की स्थिति ठीक नहीं पायी गयी । जिला पदाधिकारी, अरवल से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक—272 (गो०), दिनांक 06.10.2020 द्वारा निम्नलिखित अनियमिताओं के लिए श्री राय से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

(i) उक्त पथ के मजबूतीकरण कार्य का एकरारनामा दिनांक 27.05.2020 को किया गया है, इसके बावजूद दिनांक 04.10.2020 तक पथ Restoration नहीं कराना, कार्य के दायित्व के निर्वहन में गंभीर चूक है।

(ii) विभाग का स्पष्ट निदेश रहा है कि चुनाव के मद्देनजर सभी पथों का उत्कृष्ट रख—रखाव किया जाय। अपने विभाग के इस निदेश का पालन नहीं किया है।

2. उक्त के संदर्भ में श्री राय के पत्रांक—840 अनु०, दिनांक 12.10.2020 द्वारा स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया गया। श्री राय से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक—3018 (एस) अनु० दिनांक 29.06.2021 द्वारा श्री राय के स्पष्टीकरण के आलोक में अधीक्षण अभियंता, मगध अंचल गया से स्थल जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अधीक्षण अभियंता, मगध अंचल, गया द्वारा पत्रांक—966 अनु०, दिनांक 17.08.2021 द्वारा स्थल जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। अधीक्षण अभियंता के प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा की गयी एवं पाया गया कि अधीक्षण अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किये जाने की तिथि दिनांक 17.08.2021 तक विभिन्न 09 कार्य मदो में से अधिकार कार्य मद की प्रगति Nil है। तत्पश्चात उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी श्री राय के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक—733 (एस) अनु०, दिनांक 04.02.2023 के द्वारा श्री राय से नये सिरे से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री राय द्वारा पत्रांक—01 (आवास) कोचस, दिनांक 25.02.2023 द्वारा अपना स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया गया।

3. श्री राय द्वारा अपने स्पष्टीकरण में मुख्य रूप से आलोच्य पथ की स्थिति खराब पाये जाने एवं संवेदक द्वारा कार्य नहीं किये जाने के लिए संबंधित संवेदक को जवाबदेह बताया गया है। यह भी अंकित किया गया है कि दिनांक 17.08.2021 से 13.02.2023 तक (लगभग 18 माह) भी अधिकाश कार्य मदों की स्थिति शून्य है, जिसके फलस्वरूप एकरारनामा को विखंडित भी किया जा सकता है।

कृ०पृ०उ०

4. श्री राय प्राप्त स्पष्टीकरण की विभागीय समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि आलोच्य पथ कार्य हेतु दिनांक 27.05.2020 को एकरारनामा किया गया और आरोपी के स्पष्टीकरण के अनुसार वे दिनांक 24.05.2021 तक पथ प्रमंडल, अरवल में पदस्थापित रहे। इस प्रकार लगभग 11 माह श्री राय उक्त प्रमंडल में पदस्थापित रहे, किन्तु संवेदक के द्वारा आलोच्य कार्य में अपेक्षित रूचि नहीं लिये जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गयी। आरोपी श्री राय के द्वारा अपने कार्यकाल में संवेदक को डिबार किये जाने की कार्रवाई की गयी, जबकि इनके बाद के कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक के एकरारनामा को विखंडित किये जाने की बात कही गयी। इससे प्रतीत होता है कि आरोपी श्री राय के द्वारा आलोच्य पथ कार्य की प्रगति धीमी रहने के संबंध में जवाबदेह संवेदक के विरूद्ध अपेक्षित कार्रवाई नही की गयी। इस हद तक आरोपी श्री राय का स्पष्टीकरण उत्तर स्वीकारयोग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः सम्यक विचारोपरांत श्री राय के स्पष्टीकरण उत्तर को अस्वीकृत करते हुए प्रमाणित पाये गये आरोप के लिए निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है :–

"दो वर्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–1 (पथ) आरोप–91/2020—— /पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–1 (पथ) आरोप–91/2020—— /पटना, दिनांक..........

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा–आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)।

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक :– निग/सारा–1 (पथ) आरोप–91/2020— 5905(S) पटना, दिनांक 27.9.23

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, पटना/अभियंता प्रमुख (मु0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्रभारी प्रशाखा–13/14), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ अवर सचिव, मुख्यालय/लेखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/6/13/14, एवं 30 (लेखा शाखा)/लेखा शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री राजेन्द्र कुमार राय, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, अरवल–सम्प्रति अधीक्षण अभियंता पूर्व बिहार पथ अंचल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

27/9

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

26/9/23

अभियंता प्रमुख का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक:–14/अ0प्र0–03–199/2022 6104 /पटना, दिनांक 19/10/23

प्रतिलिपि:– सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

17/10/23

(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
अभियंता प्रमुख